उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-22 /2021/2053/92-2-2021-108जांच/2014
लखनऊ :: दिनांक:: 24 मार्च 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम-कोलाना, विकास खण्ड-नोजिल, विधानसभा क्षेत्र माठ, जनपद-मथुरा में सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53मं0आ0/92-14-108जांच/2014 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/ 2015/558/92-1-15-108जांच/14 दिनांक 12-02-2015 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता का निलम्बन इस शर्त/प्रतिबंध के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया कि उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-07-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या सतही पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1077/92-2-15-108जांच/2014 दि0 23-09-2015 द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-888/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-मथुरा/2015-16 दिनांक 27-01-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-216/92-2-15-108जांच/14 दिनांक 17-03-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 18-04-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, द्वारा मार्ग निर्माण कार्यो में ब्रूमिंग का कार्य मानक के अनुरूप न कराने तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अग्रवाल को वर्ष 2016-17 के लिये विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुये उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-92/2017/554/92-2-17-108जांच/2014 दिनांक 16-06-2017 द्वारा समाप्त की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2017 को बलहीन पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-06-2017 द्वारा पारित दण्डादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन न पाये जाने पर उनके प्रत्यावेदन को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-208/2017/3170/92-2-17-108जांच/14 दि0 06-12-2017 द्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया।

6- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-06-2017 द्वारा पारित दण्डादेश के क्रम में श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-कासगंज का द्वितीय प्रत्यावेदन दिनांक 23-02-2021 जो शासन में दिनांक 02-03-2021 को प्राप्त हुआ, में उपलब्ध कराये गये प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 17-06-2009 एवं निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र दिनांक 24-05-2010 व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य में श्री संजय अग्रवाल द्वारा ब्रूमिंग का कार्य न कराये जाने से कार्य की उपयोगिता/गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा है। ऐसी स्थिति में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-92/2017/554/92-2-17-108जांच/2014 दिनांक 16-06-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये पारित विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि को एतदद्वारा पुनर्विचार करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2021/2053(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in